

सी.एस.आई.आर. - राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान  
डॉ. के एस कृष्णन मार्ग, नई दिल्ली - 110012  
14 सत्संग विहार मार्ग, नई दिल्ली - 110067

सं.3/26/2016-आर०एड०ए०

दिनांक: 07/01/2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सी.एस.आई.आर. के पत्र सं 5-1(17)/2008-पीडी दिनांक 15-02-2011 के द्वारा वितरित डीओपीटी का.ज्ञा. सं. 35034/3/2008-स्था. (डी) के अनुसार केंद्रीय कार्यालयों में स्थित गैर तकनीकी ग्रुप 'बी' एवं 'सी' कर्मचारियों के लिए मोडीफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (एमएसीपी)।


मोडीफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के अनुरूप, किसी कर्मचारी के संपूर्ण कार्यालयी सेवा कैरियर में MACP योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के सीधी भर्ती में नियुक्त के समय वेतनमान से नियमित पदोन्नति के विरुद्ध गिने जाएंगे। इसका अर्थ है कि MACP योजना के तहत कर्मचारियों को तीन वित्तीय प्रोन्नति दी जाएगी। यदि निर्धारित अवधि (10, 20, 30 वर्ष) के दौरान उसे कोई नियमित पदोन्नति प्राप्त नहीं हुई हो,। यदि किसी कर्मचारी को पहले ही एक नियमित पदोन्नति प्राप्त हो गई है, तो वह द्वितीय वित्तीय प्रोन्नति के लिए MACP योजना के तहत 10 वर्ष की नियमित सेवा के पूर्ण होने के पश्चात ही योग्य माना जाएगा। यदि किसी कर्मचारी को पहले ही नियमित आधार पर तीन पदोन्नतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं, तो उसे MACP योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा।

तदनुसार, 02 गैर तकनीकी ग्रुप 'सी' कर्मचारियों एवं 01 गैर तकनीकी ग्रुप 'बी' कर्मचारी जिन्होंने 31/03/2025 तक अपने वर्तमान ग्रेड में 10, 20, या 30 वर्ष अथवा उससे अधिक सेवा पूर्ण कर ली है, अस्थाई पात्रता सूची MACP योजना के तहत विचार हेतु तैयार की गई है, जिसमें केवल उच्च ग्रेड वेतन में नियुक्ति/वित्तीय लाभ प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। जिसका अर्थ मात्र अगली उच्चतर ग्रेड पे / वित्तीय प्रोन्नति देना है। यद्यपि, यह योजना पदोन्नति योजना नहीं है, अतः एस उद्देश्य के लिए कोई वरिष्ठता मान्य नहीं होगी बल्कि वर्तमान ग्रेड में निर्धारित वर्षों की पूर्णता ही मान्य होगी :-

क्र. सं.	नाम और पदनाम तथा जन्मतिथि	प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि सीधी भर्ती के तहत	10/20 और 30 वर्ष वेतन बैंड और ग्रेड वेतन पूरा करने के बाद वित्तीय उन्नयन के लिए पात्रता की प्रभावी तिथि	वह तिथि जिससे अगला वित्तीय उन्नयन स्वीकार्य हो, उसका वेतनमान / स्तर (चाहे 10/20/30 वर्ष पूरा हो या 10 वर्ष के लिए एकल क्षणी )	टिप्पणी
1.	Mr. Pranjal Dhar Divedi, ASO(G), 01/05/1982	22.11.2010 asstt. 9300-34800+GP 4600 (L-7)		22/11/2021 47600-151100 Level - 8	Eligible w.e.f - 22/11/2021 (1 <sup>st</sup> MACP) 2 <sup>nd</sup> Chance
2.	Mrs. Asha Devi, MTS, 12/05/1976	18.09.2014 MTS, 5200-20200+ GP 1800 (L-1)		18/09/2024 19900-63200 Level - 2	Eligible w.e.f - 18/09/2024 (1 <sup>st</sup> MACP)
3.	Mr. M. Subramani, Wash Boy, 24/11/1974	08.07.1993 Wash Boy, 750-940	08/07/2013 (2 <sup>st</sup> MACP) 5200-20200+GP 1900	08/07/2023 21700-69100 Level -3	Eligible w.e.f - 08/07/2023 (3 <sup>rd</sup> MACP)

निस्पर के दोनों परिसर के सभी विभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों को इस कार्यालय ज्ञापन से अवगत करायें।

वे जिन्हें ऐसा लगता है कि उनका नाम एस सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, यद्यपि उन्होंने संपूर्ण सेवाकाल में 10/20/30 वर्ष अथवा इससे अधिक की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है अथवा वर्तमान ग्रेड में कार्य करते हुए 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं अथवा उनकी नियुक्ति की तिथि ठीक नहीं दर्शाई गई है अथवा अन्य, किसी प्रकार की त्रुटी है, के विषय में वे एस कार्यालय को 17/01/2025 तक अवश्य सूचित करें, अन्यथा यह माना जाएगा कि उपरोक्त स्टाफ सदस्यों की श्रेणी में अन्य कोई व्यक्ति 31/03/2025 तक MACP योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के लिए विचार किए जाने के योग्य नहीं है।

  
(आर०के०एस०रौशन)  
(प्रशासन नियंत्रक)

1. प्रतिलिपि: -
2. सभी संबंधित व्यक्ति (जिस कर्मचारी ने अपनी एसीआर जमा नहीं की है, वे MACP के अंतर्गत उनके केस पर विचार करने में देरी के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे)
3. सभी नोटिस बोर्ड (पूरा और एस.वी. मार्ग)
4. सभी विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष - सूचनार्थ और अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के बीच सूचना और व्यापक प्रसार के लिए।
5. वित्त एवं लेखा अनुभाग
6. सामान्य अनुभाग
7. बीजक अनुभाग
8. स्थापना अनुभाग
9. निजी सचिव, निदेशक, निस्पर
10. निजी सचिव, प्रशासन नियंत्रक, निस्पर
11. निजी सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, निस्पर
12. वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु